मेसर्स कैनन स्टील्स पी. लिमिटेड

बनाम

सीमा शुल्क के आयुक्त

12 नवंबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जेजे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962; धारा 130/भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 227:

उच्च न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कार्यवाही का कारण विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न नहीं होता है -धारित का आह्वान जब कायर्वाही के कारण का एक हिस्सा एक या दूसरे उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, तो यह याचिकाकर्ता को इनमें से किसी एक का चयन करना होगा — हालांकि, केवल इसलिए कि कार्यवाही के कारण का एक हिस्सा उच्च न्यायालय के भीतर उत्पन्न होता है जो अपने आप में उच्च न्यायालय को योग्यता के आधार पर मामले का निर्णय करने के लिए बाध्य करने वाला एक निर्धारक कारक नहीं हो सकता है। फोरम कन्वीनियंस के सिद्धांत को लागू करते हुए तत्काल मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपील को इस आधार पर खारिज करने को उचित ठहराया कि न्यायनिर्णय आदेश आैर अपीलीय आदेश दोनों उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी

प्राधिकारी जारी नहीं किये गये — दिल्ली उच्च न्यायालय के पास इस मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है।

सिद्धांतः

'फोरम कन्वीनियंस' का सिद्धांत -का आह्वान

इस अपील में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा वह था कि क्या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पास उस मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र था जिसमें मूल आदेश मुंबई निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था और अपीलीय आदेश दिल्ली में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 130 के तहत दायर एक अपील में उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण।

अपीलार्थी-करदाता ने तर्क दिया कि निर्णय कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड v. भारत संघ और अन्य, इसके पक्ष में है और निर्णय को गलत तरीके से पढ़ने पर अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है; प्रथम दृष्टया, उच्च न्यायालय का विचार था कि अपील उसके समक्ष विचारणीय नहीं थी और इसलिए, अपीलार्थी ने उपयुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष इसे दायर करने के लिए उक्त अपील को वापस ले लिया; चूंकि कार्यवाही का कारण चंडीगढ़ में उत्पन्न हुआ, इसलिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है; और यह कि कानून या नियम बनाने का अधिकार क्षेत्र दिल्ली उच्च न्यायालय को दिया गया।

उत्तरदाता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जाने से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया आैर अपीलार्थी के अनुरोध पर उच्च न्यायालय ने अपील वापस लेने की अनुमति दी।

इस न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1.1. न्यायालय के पास अपेक्षित क्षेत्राधिकार होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका पर पारित आदेश चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम, निश्चित रूप से अधिनियम कि प्रयोजकता के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में प्रभावी होगा। [पैरा 6] [1056-एफ, जी]

1.2. नसीरुद्दीन बनाम स्टेट के मामले में इस न्यायालय का निर्णय इस प्रस्ताव पर आधारित है कि वह स्थान जहाँ से अपीलीय या पुनरीक्षण आदेश पारित किया जाता है कार्यवाही के कारण के एक हिस्से को उत्पन्न कर सकता है हालांकि मूल आदेश उक्त क्षेत्र के बाहर के किसी आैर स्थान का था। जब कार्यवाही के कारण का एक हिस्सा एक या दूसरे उच्च न्यायालय के भीतर उत्पन्न होता है, याचिकाकर्ता अपना मंच स्वयं चुन सकेगा। [पैरा 8] [1058-बी, सी]

नसीरुद्दीन बनाम स्टेट, [1975] 2 एस. सी. सी. 671, संदर्भित।

1.3. भले ही कार्यवाही का एक छोटा सा हिस्सा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होता है, लेकिन इसे अपने आप में उच्च न्यायालय को योग्यता के आधार पर मामले का निर्णय करने के लिए बाध्य करने वाला एक निर्धारक कारक नहीं माना जा सकता है। उक्त मामलों में, न्यायालय अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से फोरम संयोजकों का सिद्धांत लागू करके इनकार कर सकता है। [पैरा 9] [1058-सी, डी]

मैसर्स कैनन स्टील्स प्रा. लिमिटेड. वी.1055 सीमा आयुक्त [पासायत, जे.] भगत सिंह बुग्गा बनाम दीवान जगबीर साहनी, ए.आई.आर (1941) केल 670; मदनलाल जालान बनाम मदनलाल ए आई आर (1949) कैल 495; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम झरिया टॉकीज एंड कोल्ड स्टोरेज(प्रा.) लिमिटेड, (1997) सी. डब्ल्यू. एन. 122; एस. एस. जैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ, (1994) 1 सीएचएन 445 और न्यू होरिजन लिमिटेड बनाम भारतसंघ, ए. आई. आर. (1994) डेल 126 का उल्लेख किया गया है।

1.4. इस मामले में अपीलीय आदेश सी.ई.एस.टी.ए.टी., कार्यालय नई दिल्ली, से जारी किया गया था। इस मायने में दिल्ली उच्च न्यायालय को इस मामले से निपटने के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त है। [पैरा 10] [1058-ई, एफ]

कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य।, [2004] 6 एस.सी.सी. 254, संदर्भित किया।

1.5. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय अपने विचार में उचित था क्योंकि मूल निर्णय आदेश और अपीलीय आदेश, क्षेत्राधिकार के भीतर प्राधिकार द्वारा जारी नहीं किए गए थे। लेकिन किसी भी व्यक्ति को बिना उपचार के नही छोड़ा जा सकता, इसलिए, हालाकि करदाता द्वारा मामला वापस ले लिया गया था, उसी को बहाल किया जाता है चूंकि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास इस मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है। [पैरा 11] [1058-एफ, जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार :सिविल अपील सं. 5153/2007।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के सीमा शुल्क अधिनियम की अपील संख्या 4/2004 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 8.5.2006 से।

अपीलार्थी की ओर से एस. आर. शर्मा और एस. बालाजी।

प्रतिवादी की ओर से बी. कृष्ण प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पासायत द्वारा दिया गया।

1. अनुमती दे दी गई

2. इस अपील में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई है जिसमे न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम की अपील सं.4/2004 को खारिज किया, जो कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(संक्षेप में'अधिनियम') की धारा 130 दिनांकित 8 मई, 2006 के तहत दायर की गई थी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट. [2007] 110 एस. सी. आर. तथा समीक्षा आवेदन में आदेश दिनांक 12.10.2006 को पारित किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि उसके पास इससे निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि मूल आदेश मुंबई में निर्णायक प्राधिकारी, द्वारा पारित किया गया था और अपीलीय आदेश सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'सी. ई. एस. टी. ए. टी.), दिल्ली द्वारा पारित किया गया था। इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ कुसुम इंगोट्स एंड एलॉय लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य [2004] 6 एससीसी 254 में दिया गया था।

3. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कुसुम इंगोट्स (ऊपर) में निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में है और निर्णय को गलत तरीके से पढ़ने पर अपील को खारिज कर दिया गया है। दूसरी ओर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जाने से पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया था, और अपीलार्थी के अनुरोध पर, उच्च न्यायालय ने

अपील को वापस लेने की अनुमति दी (गलत तरीके से रिट याचिका कहा गया)।

4. तथ्यात्मक स्थिति विवाद में नहीं है। न्याय निर्णय आदेश उक्त अधिनियम के तहत सीमा शुल्क आयुक्त (ई. पी. मुंबई) द्वारा पारित किया गया था और उस आदेश के खिलाफ अपील पर सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा निर्णय लिया गया था। सी. ई. एस. टी. ए. टी. के आदेश के विरुद्ध, सीमा शुल्क अपील संख्या 6/04 दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। यह अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम प्रत्यक्षतः, उच्च न्यायालय का विचार था कि अपील इस न्यायलय के समक्ष विचारणीय नहीं थी और इसलिए, अपीलार्थी ने उक्त अपील को उपयुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष दायर करने के लिए वापस ले लिया। चूंकि वाद हैतूक चंडीगढ़ में उत्पन्न हुआ इसलिए यह प्रस्तुत किया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है।

5. इस समय, इस न्यायालय द्वारा कुसुम इंगोट्स (उपरोक्त) में जो कहा गया है, उस पर ध्यान देना उचित होगा।

6. न्यायालय के पास अपेक्षित क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संसदीय अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका पर पारित आदेश, चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम,

अधिनियम की प्रयोज्यता के तहत, निश्चित रूप से भारत के पूरे क्षेत्र में प्रभावित करेगा।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपने समर्थन में तर्क दिया कि कानून या नियम बनाने अधिकार दिल्ली उच्च न्यायालय को है आैर उक्त विवाद के समर्थन में इस न्यायालय के निर्णय नसीरुद्दीन बनाम सरकार [1975] 2 एस. सी. सी. 671, और यू. पी. राष्ट्रीय चीनी मिल अधिकारी परिषद बनाम यू. पी. राज्य, [1995] 4 एससीसी 738 का हवाला दिया। जहाँ तक नसीरुद्दीन के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय का संबंध है, यह इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि किसी राज्य के विधानमंडल या सत्ता में प्राधिकरण की अधीनस्थ विधान बनाने की शक्ति या अधिसूचना जारी करने से उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करेगा। वास्तव में, इस न्यायालय ने संयुक्त प्रांत उच्च न्यायालयों (एकीकरण) आदेश, 1948 के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, कानून को इस प्रकार बताया गया हैः (एस. सी. सी पी. 683 , पैरा 37)

"37. उच्च न्यायालय का निष्कर्ष और तर्क गलत है। यह अनुचित है क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन में अभिव्यक्ति 'वाद हेतुक' अभिव्यक्ति के रूप में समझा जाये और यदि कायर्वाही का कारण वहा उत्पन्न हुआ है तथा अपील आदेश या पुनरीक्षण आदेश जो लखनऊ में

पारित हुआ, तब लखनऊ का क्षैत्राधिकार होगा, हालांकि मूल आदेश अवध में क्षेत्रों के बाहर एक स्थान पर पारित किया गया हो। यह हो सकता है कि मूल आदेश रिट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पक्ष में हो। ऐसे मामले में प्रतिकूल अपीलीय आदेश वाद हेतुक का कारण हो सकता है। अभिव्यक्ति 'वाद हेतुक' सर्वविदित है। यदि वाद हेतुक पूरी तरह से या आंशिक रूप से निर्दिष्ट अवध के भीतर के क्षेत्रों में एक स्थान पर उत्पन्न होता है तो लखनऊ पीठ का अधिकार क्षेत्र होगा। यदि वाद हेतुक पूरी तरह से निर्दिष्ट अवध क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न होता है, तो यह निर्विवाद है कि ऐसे मामले में लखनऊ पीठ के पास विशिष्टता अधिकार क्षेत्र होगा। यदि वाद हेतुक आंशिक रूप से अवध में निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न होता है यह वादी के लिए, जो की डोमिनस लिटिस है, अपने मंच चुनने के लिए आजाद होगा। वादी को उस अदालत में जाने का अधिकार है जहां उसका वाद हेतुक का हिस्सा उत्पन्न हुआ है। ऐसे मामलों में, यह कहना गलत होगा की कि वादी ने कोई विशेष न्यायालय का अधिकार क्षेत्र का चयन किया है। चयन इस कारण से होता है कि न्यायालय के भीतर उत्पन्न होने वाले वाद हेतुक के हिस्से से न्यायालय की अधिकारिता आकर्षित होती है। इसी तरह, कार्यवाही का एक हिस्सा निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर वाद हेतुक का और कुछ हिस्सा निर्दिष्ट अवध क्षेत्रों के बाहर उत्पन्न हुआ है तो वादी के पास इलाहाबाद या लखनऊ में कार्यवाही शुरू करने का विकल्प होगा । अदालत प्रत्येक मामले में यह पता लगायेगी कि क्या अदालत का क्षेत्राधिकार कार्यवाही के कथित कारण से उचित रूप से आकर्षित होता है।"

8. उक्त निर्णय इस प्रस्ताव का प्राधिकार है कि जिस स्थान से अपीलीय आदेश या पुनरीक्षण आदेश पारित किया जाता है, वह कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न कर सकता है, हालांकि मूल आदेश उक्त क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर था। जब कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा एक या दूसरे उच्च न्यायालय के भीतर उठता है, तो याचिकाकर्ता को अपना मंच स्वंय चुनना होगा।

9. हालाँकि, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि भले ही कार्रवाई के कारण का एक छोटा सा हिस्सा उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है, लेकिन इसे अपने आप में एक निर्धारक कारक नहीं माना जा सकता है जो उच्च न्यायालय को निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। मामला योग्यता पर है. उपयुक्त मामलों में, न्यायालय फोरम संयोजकों के सिद्धांत का उपयोग करके अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। देखें।[भगत सिंह बुग्गा बनाम दीवान जगबीर साहनी, AIR(1941) Cal 670, मदनलाल जालान बनाम मदनलाल, AIR (1949) Cal 495, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम झारीया टॉकीज एंड कोल्ड स्टोरेज (पी) लिमिटेड, (1997) CWN. 122, एस. एस. जैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ, (1994) 1 सीएचएन 445 और न्यू होराइजन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ , ए. आई. आर. (1994) Del 126।]

10. इस मामले में अपीलीय आदेश नई दिल्ली स्थित ई. एस. टी. ए. टी. कार्यालय से जारी किया गया था। उस अर्थ में दिल्ली उच्च न्यायालय के पास कुसुूम इंगोट के मामले (सुप्रा) के पैराग्राफ 25 में कही गई बातो के अनुसार मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है।

11. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय अपने विचार में उचित था क्योंकि मूल निर्णय आदेश और अपीलीय आदेश उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए थे। लेकिन किसी भी व्यक्ति को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इसलिए, भले ही सीमा शुल्क मामला संख्या 6/04 निर्धारिती द्वारा वापस ले लिया गया था, हम इसे बहाल करने का निर्देश देते हैं क्योंकि निर्विवाद रूप से, दिल्ली उच्च न्यायालय के पास इस मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है।

12. दिल्ली उच्च न्यायालय में सीमा शुल्क मामला संख्या 6/04 को गुण-दोष कहना के आधार पर निपटाया जाएगा।

13. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने अपील के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

14. बिना किसी लागत आदेश के अनुसार अपील को तद्नुसार निपटाया जाता है ।

एस.के.एस.

अपील का निस्तारण

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।